रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 715] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 7, 2015/चैत्र 17, 1937
No. 715] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 7, 2015 /CHAITRA 17, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2015

का.आ.940 (अ).—दिनांक 23.08.2007 की अधिसूचना सं.का.आ. 1519(अ), को 31.03.2016 तक अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जी एम संसाधित खाद्यों के विनियम के संबंध में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अगली अधिसूचना जारी किए जाने तक, जो भी पहले हो, आस्थगित रखा जाता है।

[फा.सं. 13/16/2007-सीएस-III]

अनिल संत, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :- परिसंकटमय सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात, **निर्यात** और भण्डारण नियमावली, 1989 को दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की सं. सा.का.नि. 1037 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था जो दिनांक 13 सितम्बर, 1993 की सा.आ. 677 (अ) की अधिसूचना के तहत लागू हुई और बाद में दिनांक 14 जुलाई, 2005 की सा.का.नि. 493 (अ); दिनांक 20 सितम्बर, 2006 की सा.का.नि. 616 (अ); दिनांक 23.08.2007 की का.आ. 1519 (अ); दिनांक 25.2.2008 की का.आ. 411 (अ); दिनांक 3.10.2008 की का.आ. 2519(अ); दिनांक 17.3.2009 की का.आ. 800 (अ); दिनांक 9.11.2009 की का.आ. 2884 (अ); दिनांक 5.4.2010 की का.आ. 828 (अ); दिनांक 4.10.2010 की का.आ. 2478(अ); दिनांक 30.9.2011 की का.आ. 2312(अ); दिनांक 26.09.2012 की का.आ. 2303(अ); दिनांक 05.04.2013 की का.आ. 953(अ); दिनांक 14.10.2013 की का.आ. 3113 (अ); दिनांक 01.04.2014 की का. आ. 999 (अ); और दिनांक 09.10.2014 की का.आ. 2634 (अ) की अधिसूचनाओं के तहत इसमें संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2015

S.O. 940 (E).— Notification No. S.O.1519(E) dated 23rd August, 2007 is kept in abeyance till 31.03.2016 or until issue of further notification by the Ministry of Health and Family Welfare regarding regulation of GM processed foods by the Food Safety and Standards Authority, whichever is earlier.

[F. No. 13/16/2007-CS-III]

ANIL SANT, Jt. Secy.

Note : - The Manufacture, Use, Import, Export and Storage of Hazardous Micro-organisms/Genetically Engineered Organisms or Cells Rules, 1989 were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide No. GSR 1037(E), dated the 5th December, 1989, which came into force *vide* notification S.O. 677(E), dated the 13th September, 1993, and subsequently were amended vide notification numbers G.S.R. 493 (E) , dated the 14th July, 2005, GSR 616 (E), dated the 20th September 2006, S.O.1519(E), dated 23.08.2007, S.O 411 (E), dated 25.2.2008, S.O.2519 (E), dated 3.10.2008, S.O.800 (E), dated 17.3.2009, S.O.2884 (E), dated 9.11.2009, S.O.828 (E), dated 5.4.2010, S.O.2478 (E), dated 4.10.2010, S.O. 2312(E), dated 30.9.2011, S.O. 2303 (E) dated 26.09.2012, S.O. 953 (E), dated 5.4.2013, S.O. 3113 (E) dated 14.10.2013, S.O. 999 (E) dated 1st April, 2014 and S.O. 2634(E) Dated 09.10.2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.